न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 4/2025 निर्णय दिनांकः– 16-01-26
(जीसीएमएस संख्या 2025/34)

1. केसराराम पुत्र रूकाराम जाति मेघवाल (हरिजन) निवासी कुसुमदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।

–अपीलांट

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 16–02–1982
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 16–02–1982 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित कर दी गई के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर भूमिहीन के तौर पर पूगल के चक 644–200 आर.डी. के मुनं.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

11/12 की कि.नं. 1 ता 20 20 बीघा कमाण्ड पुख्ता आवंटित हुई जो पूर्व में अन्य को आवंटन होने पर बाद में दिनांक 16.02.1982 को चक 655–500 आर.डी. के मु.नं. 235/56 के कि.नं. 1 ता 25 25 बीघा आवंटित हुई जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला एवं आवंटन आज दिन तक बहाल है। अपीलांट को उक्त आवंटित भूमि अन्य को बतौर भूमिहीन बन्नेगिरी पुत्र केशगिरी जाति स्वामी को आवंटन होकर उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इसलिये अपीलांट को मौके पर कब्जा नहीं मिला इसलिये जैर अपील आदेश निरस्त कर अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटन के आदेश प्रदान करें। अपीलांट को उक्त आवंटित भूमि अन्य को आवंटन होकर उनके नाम से खातेदारी हो चुकी है। इसलिये उक्त भूमि अपीलांट को मिलने की कोई संभावना नहीं है। अपीलांट को आवंटित भूमि दौबारा आवंटन कर दी गई है। अपीलांट को आवंटित भूमि का आज दिन तक कब्जा नहीं मिला है जबकि उसका आवंटन आज दिन तक बहाल है उक्त अन्य को आवंटित भूमि दौबारा आवंटन कर दी गई है जो अन्य के नाम दर्ज है। माननीय राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश हुए है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता में लेकर अन्यत्र भूमि दे दी जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की भूमि अन्यत्र आवंटन करवाने के आदेश प्रदान करावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट केसराराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18–03–1976 को अपीलांट को 20 बीघा कमाण्ड आवंटन का पात्र घोषित किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20–09–1980 को चक 644–200 आरडी मुरबा नंबर 11/12 किला नंबर 1 ता 20 कुल 20 बीधा भूमि अपीलांट को आवंटित कि गई थी एवं इसका आवंटन आदेश जारी किया गया। अपीलांट को आवंटित यह भुमि पूर्व में दिनांक 11–02–1976 को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित हो चुकी थी। इस कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16–02–1982 को अपीलांट का दिनांक 20–09–1980 को किया गया 20 बीघा का आवंटन निरस्त कर दिया गया तथा चक 655–500 आरडी के मुरबा नंबर 235–56 में कुल 25 बीघा (7 बीघा कमाण्ड 18 बीघा अनकमाण्ड) भूमि का आवटन अपीलांट को किया गया जिसका आवंटन आदेश दिनांक 16–02–1982 को जारी किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट को दिनांक 16–02–1982 को आवंटित यह भूमि वर्तमान में बने गिरी पुत्र केश गिरी तथा बेबी पत्नी पन्ने गिरी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट का आवंटन कभी खारिज हुआ हो। यह कथन निर्विवाद है कि अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 20 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन हेतु पात्र घोषित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह भी साबित है कि अपीलांट को आवंटित भूमि अपीलांट के नाम दर्ज ना होकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है।

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–**Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such unallotted land.**

न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016 पेज 1339 के अनुसार यदि कोई आवेदक आवंटन का पात्र है और उसे विशिष्ट भूमि आवंटित नही हुई है तो उसे अन्यंत्र भूमि आवंटित की जा सकेगी।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन यदि खारिज नही हुआ हो, वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं हुई हो तथा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 16-01-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर